



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 64]
No. 64]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 15, 2008/पौष 25, 1929
NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 15, 2008/PAUSA 25, 1929

ग्रामीण विकास मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जनवरी, 2008

का.आ. 88(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (2005 का 42) की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और यह समाधान हो जाने पर कि अधिनियम की अनुसूची 1 का संशोधन करना आवश्यक और समीचीन है, अधिनियम की अनुसूची 1 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

1. (1) इसका संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम अनुसूची 1 संशोधन आदेश, 2008 है ।
- (2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।
2. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की अनुसूची 1 में,—
 - (i) पैरा 8 के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात् :—

“8 (1) विभिन्न अकुशल श्रमिकों के लिए मजदूरी की दरों की अनुसूची इस प्रकार नियत की जाएगी कि नौ घंटे के लिए काम करने वाला कोई व्यस्क व्यक्ति सामान्यतया मजदूरी दर के बराबर मजदूरी उपाजित कर सके ।

(2) किसी व्यस्क कर्मकार के कार्यदिवस, जिसके अंतर्गत विश्राम के अंतराल भी हैं यदि कोई हों, इस प्रकार व्यवस्थित किए जाएंगे कि वह किसी दिवस को बारह घंटे से अधिक न हों”;
 - (ii) पैरा 8 के पश्चात् निम्नलिखित पैरा अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“8-क. किसी समूह में कार्य करने वाले किन्हीं पुरुष और स्त्री कर्मकारों द्वारा किए गए औसत कार्य आधारित दरों की सूची नियत करने के लिए आधार होगा ताकि दरों की अनुसूची में लिंग आधारित कोई विभेद न हो ।”

[फा. सं. जे-11011/2/2007-एनआरईजीए]

अमिता शर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th January, 2008

S.O. 88(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 29 of the National Rural Employment Guarantee Act, 2005 (42 of 2005), and being satisfied that it is necessary and expedient to amend Schedule 1 of the Act, the Central Government hereby makes the following amendments to Schedule 1 of the Act, namely :—

1. (1) It may be called the National Rural Employment Guarantee Act, Schedule I Amendment Order, 2008.
- (2) It shall come into force on the date of publication in the Official Gazette.
2. In Schedule 1 of the National Rural Employment Guarantee Act, 2005,—
 - (i) for paragraph 8, the following paragraph shall be substituted, namely :—
 - “ 8 (1) The Schedule of rates of wages for various unskilled labourers shall be so fixed that an adult person working for nine hours would normally earn a wage equal to the wage rate.
 - (2) The working days of an adult worker shall be so arranged that inclusive of intervals of rest, if any, it shall not spread over more than twelve hours on any day”;
 - (ii) after paragraph 8, the following paragraph shall be inserted, namely :—

“8-A. The average out-turn of work put out by men and women workers working in a group will be the basis for fixing task based Schedule of rates so that there is no gender based discrimination in the Schedule of rates.

[F. No. J-11011/2/2007-NREGA]

AMITA SHARMA, Jt. Secy.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1815]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 22, 2011/भाद्र 31, 1933

No. 1815]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 22, 2011/BHADRA 31, 1933

ग्रामीण विकास मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 2011

का.आ. 2202(अ).—केन्द्रीय सरकार, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (2005 का 42) की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है, उक्त अधिनियम की अनुसूची I में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

2. उक्त अनुसूची के पैरा 1 के उप-पैरा (iv) के स्थान पर निम्नलिखित उप-पैरा रखा जाएगा, अर्थात् :-

“(iv) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों या गरीबी रेखा से नीचे कुटुंब या भूमि सुधार के हिताधिकारियों या भारत सरकार की इंदिरा आवास अयोजना के अधीन हिताधिकारियों या कृषि ऋण अधित्यजन और ऋण राहत स्कीम, 2008 में यथापरिभाषित लघु कृषक या सीमांत कृषकों या अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अधीन हिताधिकारियों की गृहस्थियों की स्वामित्वाधीन भूमि के लिए सिंचाई सुविधा, बागवानी, बागान और भूमि विकास सुविधाओं का उपबंध ;”।

[फा. सं. के-11033/2/2011-मनरेगा]

डी. के. जैन, संयुक्त सचिव

टिप्पण : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (2005 का 42) की अनुसूची 1 का निम्नलिखित अधिसूचना संख्याओं द्वारा संशोधन किया गया :

1. का.आ. 323(अ), तारीख 6 मार्च, 2007
2. का.आ. 1489(अ), तारीख 18 जून, 2008
3. का.आ. 3000(अ), तारीख 31 दिसम्बर, 2008
4. का.आ. 1824(अ), तारीख 22 जुलाई, 2009
5. का.आ. 1484(अ), तारीख 30 जून, 2011

MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd September, 2011

S.O. 2202E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 29 of the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005 (42 of 2005), the Central Government, on being satisfied that it is necessary and expedient to do so, hereby makes the following further amendments in the Schedule I to the said Act, namely :

2. In the said Schedule, in paragraph 1, for sub-paragraph (iv), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:—

“(iv) provision of irrigation facility, horticulture, plantation and land development facilities to land owned by households belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes or below poverty line families or to the beneficiaries of land reforms or to the beneficiaries under the Indira Awas Yojana of Government of India or that of the small farmers or marginal farmers as defined in the Agriculture Debt Waiver and Debt Relief Scheme, 2008 or to the beneficiaries under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ;”.

[F. No. K-11033/2/2011-MGNREGA]

D. K. JAIN, Jt. Secy.

Note :—Schedule I of the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005 (42 of 2005) has been amended *vide* following Notification Numbers :

1. S.O. 323(E), dated the 6th March, 2007
2. S.O. 1489(E), dated the 18th June, 2008
3. S.O. 3000(E), dated the 31st December, 2008
4. S.O. 1824(E), dated the 22nd July, 2009
5. S.O. 1484(E), dated the 30th June, 2011.